न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का चोखला		सताराम पुत्र चेतनराम कौम जाट निवासी फुलासर चोखला

मुकदमा नम्बर 24/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13.09.2019

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम **फुलासर** के खसरा नम्बर **200/139, 209/139** बीघा रकबा क्रमश 1.00, 0.5 बीघा में से क्रमश 871, 4356 कुल 5227 वर्ग फीट किस्म गै. मु. **सडंक व बा.दो भूमि पर चारों और तारबंदी कर** अनाधिकृत रूप स कब्जा अतिक्रमण कर रास्ता रोका गया है। पटवारी हल्का चोखला द्वारा रिपोर्ट पेश की , जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिर्पोट का अवलोकन किय है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रू 50 गुणा जुर्माना रू 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु
तहसीलदार बायतु
जिला बाड़मेर